संक्षिप्त

रामनरेश गोहरपूरा बने जिलाध्यक्ष

निवाई। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेशाध्यक्ष मनीष भरगड़ ने रामनरेश गोहरपूरा को महासभा का टोंक जिला अध्यक्ष के पर नियुक्त किया है। नियुक्ति पत्र में सामाजिक सरोकारों में भुमिका निभाने, महासभा की गतिविधियो को आगे बढ़ाने और सदस्यता अभियान को गति देने के निर्देश दिए। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश हरसल, प्रदेश उपाध्यक्ष नन्दलाल लागड़ी, प्रदेश महा सचिव हंसराज गुंजल, प्रदेश महासचिव कुलदीप महुआ, जिला उपाध्यक्ष रामराज फागण, हरकेश गुर्जर, धनराज हरचंदेडा व खुशीराम मेनेजर सहित कई समाज के कार्यकर्ताओं ने रामनरेश को सम्मानित किया।

एक हैड कांस्टेबल व पांच कांस्टेबल लाइन हाजिर

बौंली-बामनवास। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने अपने आदेशों के अनुसार सूरवाल थाने पर तैनात हैड कांस्टेबल नथन सिंह को एवं कांस्टेबल सीताराम, मनराज मीणा व जितेंद्र चौधरी को एवं मलारना डूंगर थाने पर तैनात लखनलाल व महेंद्र को सवाई माधोपुर पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है।

श्रद्धालूओं की बस कुम्भ के लिये रवाना

कोटपूतली। श्री श्याम परिवार कोटपूतली की ओर से कस्बे के चंद्रदास कॉलोनी के श्रद्धालूओं की एक बस सोमवार को महेश व मनीष यादव के नेतृत्व में कुम्भ के लिये रवाना की गई। श्रद्धालू अयोध्या होते हुये प्रयागराज जायेगें। श्री श्याम परिवार के अध्यक्ष राजेश सवाईका ने शुभकामना देकर बस को रवाना किया।

'आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करें'

- 7 पीएचसी पर पहली बार संस्थागत प्रसव शुरू व 2 पीएचसी एनक्वास से हुई सर्टिफाइड एवं 20 और संस्थानों को एनक्वास सर्टिफाइड कराने का दिया लक्ष्य

अलवर। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में आज कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

जिला कलक्टर ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए सीएमएचओ को निर्देश दिये कि जिले में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करें। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में क्रियान्वित करावे। जिले की विभिन्न बिन्दुओं में रैंकिंग में सुधार करें। इसमें लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाए।

उन्होंने सीएमएचओ व डीओआईटी के एसीपी को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के शेष ई-केवाईसी कराने हेतु 31 जनवरी तक ग्राम पंचायत स्तर तक विशेष शिविर लगाकर शत-प्रतिशत केवाईसी का कार्य करें। साथ ही आयुष्मान कार्ड का भी वितरण करावे। उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की समीक्षा कर योजना के तहत जिले की चिकित्सा संस्थानों में आगामी एक माह में रोगियों के उपचार में अधिकाधिक क्लेम बुक करने के निर्देश देते हुए एक माह में 15 लाख रूपये की राशि के क्लेम बुकिंग में वृद्धि करने के निर्देश दिये तथा 31 मार्च तक कुल क्लेम बुकिंग में एक करोड रूपये की वृद्धि करें, ताकि रोगियों को गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके तथा संबंधित चिकित्सा संस्थान को बुक क्लेम की राशि प्राप्त हो सके।

जिला कलक्टर ने विगत बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में जिले में 7 पीएचसी बालेटा, ईटेडा, दुबी, झिरी, सेमलाखुर्द, नायना व समरा में पहली बार संस्थागत प्रसव प्रारम्भ होने पर संतुष्टि जाहिर कर निर्देश दिये कि शेष रही पीएचसी में भी संस्थागत प्रसव प्रारम्भ करावे इसके लिए आवश्यक संसाधनों आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने आरसीएचओ को निर्देश दिये कि जिले में शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव कराने हेतु दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक कार्ययोजना बनाकर कार्य करें तथा आशा सहयोगिनियों की प्रभावी मॉनिटरिंग करें। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि सुनिश्चित करावे कि जिले में राजकीय व निजी चिकित्सालयों में होने वाले सभी संस्थागत प्रसवों की सूचना समयबद्ध रूप से प्राप्त होवे।

उन्होंने जिले की पीएचसी बगडमेव व जामडोली को एनक्वास सर्टिफिकेट मिलने पर चिकित्सा विभाग की टीम को बधाई दी। साथ ही निर्देश दिये कि चरणबद्ध रूप से जिले के चिकित्सा संस्थानों को एनक्वास सर्टिफाइड करवाए। इसके लिए प्रथम चरण में 20 चिकित्सा संस्थानों को एनक्वास सर्टिफाइड यथाशीघ्र कराने का प्रयास करें।

जिला के संदर्भ में वकीलों का मुख्यमंत्री से अनुरोध

सांभरझील, (निसं)। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से यहां के वकीलों ने सांभर को जिला बनाए जाने के संदर्भ में एक मांग पत्र भिजवाते हुए अनुरोध किया है कि जो गलतियां पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया अशोक गहलोत ने की उससे क्षेत्र की जनता की भावना को काफी धक्का लगा, जबकि वर्ष 1952 से सांभर जो कि राजस्थान का सबसे पुराना उपखंड है जिला के लिए डिजर्व है, इसलिए इसके तमाम पहलुओं पर दृष्टिपात करते हुए आगामी बजट में सांभर को स्वतंत्र रूप से जिला घोषित कर क्षेत्र की जनता को अनुग्रहित करने की कृपा करें। सांभर अभिभाषक समिति के अध्यक्ष व सचिव, पूर्व अध्यक्षों व सदस्यों सहित अनेक अधिवक्ताओं ने इसके समुचित कारणो को दर्शाते हुए कहा कि सांभर को जिला बनाए जाने के लिए बार एसोसिएशन विगत 13 वर्षों से सतत प्रयासरत है, जो कि संघ के कार्यालय में तमाम दस्तावेज आज भी मौजूद है। युवा अधिवक्ताओं व अनेक ने अपने ओजस्वी विचारों से सभी में जागृति का संदेश फूंका। विचारों को साझा किए जाने के बाद जिला के मुहिम के लिए आगामी रणनीति ठोस तरीके से तय किए जाने के लिए भी समय निर्धारित किया गया।

ज्योति कलश रथ यात्रा का किया स्वागत

चाकसू। गायत्री पीठ शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान में निकाल जा रही ज्योति कलश रथ यात्रा सोमवार को चाकसू बाईपास पहुंचने पर स्वागत किया गया गायत्री पीठ से जुड़े सुनील शर्मा ने बताया कि गायत्री पीठ के संरक्षक पंडित श्रीराम शर्मा ने जो अखंड दीप प्रज्वलित सन 1926 में किया था बसंत पंचमी 2026 को उसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं इसी के उपलक्ष में यात्रा हरिद्वार से चलकर पूरा भारत भ्रमण करेगी जो आगामी 25 जनवरी तक यात्रा चाकसू के गांव से निकलकर आगे बढ़ेगी इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है और गायत्री पीठ से लोगों को जोड़कर नैतिक मूल्यों को बढ़ाना है अंत में यह यात्रा गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार पहुंचेगी वहां पर बसंत पंचमी 2026 को महायज्ञ का आयोजन होगा इसी के तहत रथ यात्रा के चाकसू बाईपास पहुंचने पर श्री परसराम फिलिंग स्टेशन पर पर शांतिकुंज हरिद्वार से जुड़े सदस्य अवधेश शर्मा ने ज्योति कलश को तिलक लगाकर, आरती की शक्तिपीठ से पधारे महानुभावों का दुपट्टा पहन कर स्वागत किया।

विधायक धनकड करेंगे जनसुनवाई

पावटा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्रीय विधायक कुलदीप धनकड आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज से पावटा प्रागपुरा नगरपालिका क्षेत्र के पावटा कस्बे में जनता के बीच जाएंगे व जनता की जो स्थानीय समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं हैं, उनको सुनेगे। जनता से उनकी समस्याओं पर चर्चा कर उनकी समस्याओं के समाधान हेतु काम करेंगे व गांव-गांव पहुंचकर आमजन से चर्चा करते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से उन्हें अवगत करवाएंगे।

जिला न्यायालय की न्याय शिखा बनवाने के लिए वकीलों ने की बैठक

किशनगढ़ बास। अभिभाषक संघ अध्यक्ष सुनील यादव की अध्यक्षता में वकीलों ने बैठक की। बैठक में किशनगढ़ बास में जिला न्यायालय का न्याय शिखा बनवाए जाने व राजस्व अपील अधिकारी कैंप कोर्ट को नियमित कराए जाने आदि मांगों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि आमजन की सुविधाओं एवं हितों को देखते हुए अभिभाषक संघ, व्यापारियों एवं सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपेगा।

बैठक में अभिभाषक संघ अध्यक्ष सुनील यादव पूर्व अध्यक्ष अमित गौड़, अजीत राव , कोषाध्यक्ष विपिन शर्मा, सचिव रविंद्र शर्मा, योगेंद्र चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता भुवनेश तिवाडी, चंद्र प्रकाश शर्मा, अनिल गोयल, कैलाश गुप्ता, सूरजभान भड़ाना, प्रदीप सोनी, यादवेंद्र सिंह सलीम मोहम्मद देवेंद्र शर्मा आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।

संघ अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि किशनगढ़ बास में जिला न्यायालय का न्याय शिखा बनवाए जाने व राजस्व अपील अधिकारी कैंप कोर्ट को किशनगढ़ बास में नियमित कराए जाने आदि बाबत मांगों को लेकर 2 दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के खैरथल आगमन पर अभिभाषक संघ की ओर से मांग पत्र सौंपा गया है। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता भुवनेश तिवाडी चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया किशनगढ़ बास में 1983 से अपर जिला एवं सेशन न्यायालय है। वर्तमान में दो अपर जिला एवं सेशन न्यायालय तथा तीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय है। इसके अलावा उपखंड न्यायालय तथा राजस्व कैंप कोर्ट है।

किशनगढ़ बास के अंतर्गत तिजारा भिवाड़ी बहरोड मुंडावर बानसूर कोटकासिम का कार्यक्षेत्र हुआ करता था। धीरे-धीरे सभी जगह अलग-अलग न्यायालय खुलने से किशनगढ़ बास क्षेत्र का अधिकार कम होता गया। खैरथल तिजारा जिला बनने से पूर्व से ही किशनगढ़ बास में बिजली विभाग का अधिशासी कार्यालय पावर ग्रिड सब स्टेशन व जेल है।

पूर्व अध्यक्ष अमित गौड़ ने बताया कि किशनगढ़ बास में जेल के पास 14 बीघा जमीन है जिसमें 5 बीघा में जेल बनी हुई है। आबादी क्षेत्र बढ़ने से जेल आवासीय क्षेत्र के बीच है। जेल शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया सरकार के पास विचाराधीन है। न्यायालय के नव निर्माण के लिए उपयुक्त जगह है। इसी के साथ नगर पालिका के समीप करीब 100 बीघा जमीन सरकारी क्वार्टर बनाए जाने के लिए उपलब्ध है और खैरथल तिजारा जिला मुख्यालय से किशनगढ़ बास की दूरी केवल 12 किलोमीटर की है।

एन. डी. पी. एस. जागरूकता अभियान के तहत पुलिस अधिकारियों ने लोगों को जानकारी दी

दौसा। पुलिस के साइबर शील्ड, सड़क सुरक्षा व एनडीपीएस जागरूकता अभियान के तहत पुलिस अधिकारियों ने लोगों को जानकारी दी। नागरिकों को साइबर, एनडीपीएस व यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया गया।

साइबर शील्ड अभियान भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को साइबर हमलों से बचाना है। इस अभियान के अंतर्गत सरकारी विमाग, संस्थान, और आम नागरिकों को साइबर खतरों के बारे में जागरूक किया जाकर उन्हें सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार के लिए प्रेरित किया गया है। लोगों को साइबर हमलों, जैसे कि फिशिंग, मैलवेयर, और हैकिंग के बारे में जागरूक किया। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को मजबूत पासवर्ड बनाने, संवेदनशील जानकारी साझा करते समय सतर्क रहने और सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क से बचने के बारे में शिक्षा दी। उपयोगकर्ताओं को साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन नंबर प्रदान किए। इसी तरह सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सड़क हादसों को कम करना, यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ताकि सड़क सुरक्षा पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके और सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या घटाई जा सके। लोगों को यातायात नियमों के महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है, जैसे कि सिग्नल का पालन करना, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, और शराब पीकर गाड़ी न चलाना। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें। एनडीपीएस अभियान का उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में मादक पदार्थों के नशे के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना और इस प्रकार के पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। मादक पदार्थों जैसे कि हेरोइन, कोकीन, गांजा, चरस, अल्कोहल, और अन्य मानसिक रूप से प्रभाव डालने वाले पदार्थ के दुरुपयोग से होने वाली शारीरिक और मानसिक हानि के बारे में लोगों को बताया। पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लोगों को सजग करना और तस्करों की गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करें। लोगों को एनडीपीएस अधिनियम और इसके तहत लागू होने वाले क़ानूनों के बारे में भी जानकारी दी।

वृक्षरोपण परियोजना के तहत कार्यशाला आयोजित

बौंली -बामनवास। सवाई माधोपुर जिला वन मंडल के अधीन ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति के सदस्यों व वन मित्रों की एक दिवसीय कार्यशाला बौंली रेंज वन विभाग प्रांगण में आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ उपवन संरक्षक श्रवण कुमार रेड्डी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला में श्री दादू पर्यवरण संस्थान के संस्थापक महावीर मीणा ने दक्ष विशेषज्ञों का परिचय कराया और राजस्थानी परंपरा के अनुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी कविता वाई जाट एवं वनपाल भुपेंद्र सिंह जादौन ने अपस्थित सभी अतिथियों का माला एवं शाल ओढाकर स्वागत किया। कार्यशाला में एडवोकेट डॉक्टर महेंद्र सिंह कछवाहआ ने राजस्थान अधिनियम 1953 एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किस प्रकार कानून को लागु करना चाहिये इसकी जानकारी दी। रिटायर्ड डीएफओ देवेंद्र कुमार भारद्वाज ने नर्सरी तकनीकी एवं पौधारोपण पर विस्तृत जानकारी साझा की।

Times Centre for Learning Ltd

Job Opportunity / Recruitment

TCLL a NSDC empanelled VTP Engaged in skilling the students in CSS VSHSE under NSQF framework is inviting applications from candidates with prescribed Qualification & experience for deployment as Vocational trainers for below sectors in Govt. Schools of Rajasthan. Rajasthan residents will be given preference

Essential Qualification:

Agriculture-Post-graduation in Horticulture from a recognized Institute/University Or bachelor's degree in agriculture (should have horticulture as one of the subjects) from a recognized Institute/University. Or Bachelor in Vocational (B.Voc) degree in relevant sector from a recognized institute/University) Or Diploma in Horticulture (at least 2 years).
Post graduation in Dairying/ Animal Husbandry from a recognized Institute /University Or Bachelor's degree in Relevant sector from a recognized university Or Bachelor in Vocational (B.Voc) degree in relevant sector from a recognized institute/University Or Diploma in Livestock management / animal husbandry (at least 2 years).
Apparel-Post-graduation in Textile and Clothing from a recognized Institute / University Or MSc/MH Sc in textile and clothing Or 4 years B.E/B.Tech Degree in Textiles/ Fashion Technology Or Bachelor in Vocational (B.Voc) degree in relevant sector from a recognized institute/University Or Diploma in Fashion designing/textile (at least 2 years).
Automotive-Masters / Bachelor Degree in Automobile Engineering /Mechanical Engineering from a recognized University. Or Bachelor in Vocational (B. Voc) degree in relevant sector from a recognized institute/University Or Diploma in Automobile (at least 2 years).
Beauty & Wellness- MSC/BSC in Beauty Cosmetology from a recognized university Or Bachelor in Vocational (B.Voc) degree in relevant sector from a recognized institute/University Or Minimum One-year Diploma in Cosmetology/ Beauty Therapy/ Beauty Culture / Beauty concept from a recognized Institution (institute recognized by NCVET or AICTE) (In the case of CWSN vocational education schools the Certification in Sign language / Braille (minimum 3 months) will be preferred).
BFSI- Post-graduation in commerce/ management/finance/issuance from a recognized institute/university. Or MBA in Finance / Insurance from a recognized university Or Bachelor in Vocational (B.Voc) degree in relevant sector from a recognized institute/University Or Diploma in relevant sector (at least 2 years).
Electronics- Master of Engineering in Electronics/ Electrical. Or Bachelor of Engineering in Electronics/ Electrical. Or Bachelor in Vocational (B. Voc) degree in relevant sector/job role from a recognized institute/University. Or Diploma or certificate course in Electronics & hardware (at least 2 years).

Minimum Competencies:

1. Minimum of 1 year of work/teaching experience in the case of a Masters' Degree, 2 years' experience in the case of a Bachelor degree and 3 years' experience in the case of diploma in the same sector.
2. Able to communicate in English, Hindi and the local language.
3. Knowledge of equipment, tools, material, Safety, Health & Hygiene of the concerned sector and job role.
4. Basic computer competencies (certificate from a recognized institute or University, minimum of 3 months).

Minimum Age Limit

23 to 60 years as of 1st July 2024.
All-Inclusive Fixed salary:
Rs. 20000/- per month

Last date of receipt of CV : 26-Jan-2025

Note: All Positions are on contractual basis. this is not a govt. Job.

To Apply fill Google Form Link https://forms.gle/TssBaAcJhREYHeCHA (Compulsory to fill) & submit CV at tcllrecruitment.raj@gmail.com

न्यायालय-अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या.2, हिण्डौन सिटी
विजय सिंह धाकड बनाम हरखासआम प्रार्थना.पत्र बाबत जारी किये जाने प्रावेट

नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विजय सिंह धाकड पुत्र श्री मोहरसिंह धाकड, जाति-धाकड, निवासी सरकारी अस्पताल के पीछे, सांकेत कोलोनी, हिण्डौन सिटी, जिला-करौली ने किरोडी उर्फ किशोरी द्वारा आवेदक के हक में दिनांक-19.03.2004 को वसीयतनामा में दर्ज एक बैठक पश्चिम-दक्षिण झांकती कुँआ के पास वाके धाकड पौठा हिण्डौन में से 1/3 में से 1/4 भाग की सम्पत्ती है। उक्त बैठक के किरोडी उर्फ किशोरी के 1/12 हिस्से की सम्पत्ती एवम् खसरा नम्बर-6538 रकबा 0.05 हैक्टर में से 1/8 हिस्सा एवम् खसरा नम्बर-1220 रकबा 0.97 हैक्टर चाही प्रथम, खसरा नम्बर.1226 रकबा. 0.44 हैक्टर चाही प्रथम, खसरा नम्बर-1069/1 रकबा 0.26 हैक्टर वारानी उत्तम खसरा नम्बर-1944/5 रकबा 0.09 हैक्टर चाही द्वितीय जाव-2, कुल किता-4. कुल रकबा 1.76 हैक्टर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर-1227 रकबा 0.09 हैक्टर गैरमुमकिन कुँआ का 1/4 भाग वाके कस्बा, हिण्डौन का प्रोवेट प्रमाण.पत्र प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय हाजा में प्रार्थना.पत्र प्रस्तुत कर दिया है। लिहाजा जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त प्रार्थना-पत्र के स्वीकार करने में कोई आपत्ती हो तो वह अपनी उपस्थिती इस न्यायालय में दिनांक 10-3-25 को समय 10:30 बजे असालतन व वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर देए वर्ना गुजरने उक्त दिनांक कोई आपत्ती स्वीकार नहीं होगी एवं प्रार्थना.पत्र इकतरफा में सुनवाई फैसला कर दिया जावेगा। मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 15-01-2025 को जारी किया गया।

आज्ञा से-रीडर, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02 हिण्डौन सिटी (मुहर)

कार्यालय आवासीय अभियंता राजस्थान आवासन मण्डल,
2A-1 एस.टी.सी. योजना भरतपुर (Email Id- rebharatpur.rhb@rajasthan.gov.in) (Ph. No.- 05644-223672)
क्रमांक :- 589 दिनांक :- 10/01/2025

आवश्यक सूचना

हर आम एवं खास को इस आवास संख्या 2-द-05 आवासीय योजना कृष्णा नगर भरतपुर की सामान्य पंजीकरण योजना 1977 भरतपुर में हित रखने वाले व्यक्ति विशेष को यह सूचित किया जाता है कि मूल आवंटी श्री पूरनदास शर्मा पुत्र श्री सामलदास शर्मा ने राशि 100/- रूपये जमा करवाकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) के आवास हेतु पंजीकरण करवाया गया था। जिन्हें आवंटन पत्र क्र. 1964 दिनांक 18.12.1984 को आवास संख्या 2-द-05 आवासीय योजना कृष्णा नगर भरतपुर में आवंटित हुआ। उक्त आवास का कब्जा दिनांक 09.03.1985 को प्राप्त कर लिया गया ।
श्री मदन लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री पूरनदास शर्मा ने प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रपत्र एवं स्व0 श्री पूरनदास शर्मा की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके पिताजी का स्वर्गवास दिनांक 08.09.2003 को हो जाने के कारण, उपरोक्त आवंटित आवास संख्या 2-द-05 आवासीय योजना कृष्णा नगर भरतपुर का हस्तांतरण उनके नाम किया जाये । अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 2-द-05 आवासीय योजना कृष्णा नगर भरतपुर के संबंध में पिता, पुत्र, पुत्रियाँ, भाई व अन्य किसी रिश्तेदार को किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड - भरतपुर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा, उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण श्री मदन लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री पूरनदास शर्मा आवासीय योजना कृष्णा नगर भरतपुर के पक्ष में करने कार्यवाही की जावेगी ।

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड - भरतपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-3722 दिनांक-02/09/24

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की स्ववित्त पोषित योजना वर्ष-2021, में फ्लैट संख्या 8/SA/721 (7-F) (स्टूडिया अपार्टमेन्ट), सेक्टर-08, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का आवंटन श्रीमती शशीकान्त उपाध्याय पुत्र स्व. श्री दामोदर दास उपाध्याय को किया गया। श्रीमती शशीकान्त उपाध्याय की मृत्यु दिनांक 18.12.2023 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती सुनीता उपाध्याय पत्नी स्व. श्रीमती शशीकान्त उपाध्याय द्वारा उक्त फ्लैट को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त फ्लैट के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती सुनीता उपाध्याय पत्नी स्व. श्रीमती शशीकान्त उपाध्याय का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त- प्रथम, प्रताप नगर जयपुर
क्रमांक: 6037 दिनांक 10.01.2025
जाहिर आम सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 172/156 (EWS), (एरिया 36.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री यशपाल शर्मा पुत्र श्री विशन दास शर्मा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1260 दिनांक 31.05.2000 को जारी किया गया। श्री यशपाल शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 26.03.2011 को उप पंजीयक द्वितीय, जयपुर के यहाँ पंजीकृत करवाये गये।श्री यशपाल शर्मा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 20.04.2011 के द्वारा श्रीमती हर्षा एलानी पत्नी श्री राजेश एलानी को विक्रय कर उप पंजीयक द्वितीय, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती हर्षा एलानी द्वारा उक्त आवास को दिनांक 23.01.2013 के द्वारा श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री बलीराम गुप्ता को विक्रय कर उप पंजीयक जयपुर-अष्टम के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री बलीराम गुप्ता का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
संपदा प्रबंधक, वृत्त प्रथम, राज. आ. मण्डल, जयपुर

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

शिक्षकों की आवश्यकता:
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा संस्कृत शिक्षण की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत
"गोपीनाथ बाल भारती विद्यालय समिति"
चीथवाड़ी, तहसील- चौमूं, जिला- जयपुर, 303805 में।
रिक्त पदों की संख्या: 01 विषय: (संस्कृत- 01)
शैक्षिक योग्यता: राज्य सरकार/ यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित परंपरागत उपाधि धारक एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थी को वरीयता
मानदेय: 20,000/- प्रतिमाह
नोट: अभ्यर्थी अपने जीवनवृत के साथ साधे कागज पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं पहचान पत्र पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर निम्न लिखित पते पर विद्यालय कार्य दिवसों में दिनांक 10.02.2025 सांय 5:00 बजे तक प्रेषित/ प्रस्तुत कर सकते हैं। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार की सूचना विद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को पृथक से दी जावेगी।
प्रबंधक: "गोपीनाथ बाल भारती विद्यालय समिति" चीथवाड़ी, तहसील- चौमूं, जिला- जयपुर, 303805
मोबाईल: 9887519151

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि.जयपुर
5वीं व 6वीं मंजिल नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
Phone:0141-2741805, E-mail: rschfjaipur@yahoo.com
क्रमांक-1215/25 दिनांक-17/01/2025
आम सूचना संघ की आवासीय योजना केसरीचन्द चौधरी नगर, अजमेर रोड, जयपुर के फ्लैट संख्या-5/144 की श्री आशीष शर्मा पुत्र श्री नवल किशोर शर्मा के नाम दिनांक 07.06.2019 हस्तांतरण किया गया था। उक्त फ्लैट श्रीमती जसोदा देवी पत्नि श्री देवीसिंह द्वारा मय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र श्री अशीष शर्मा से दिनांक 07.03.2024 को क्रय कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने नाम ट्रांसफर कराने हेतु निवेदन किया गया है। जिस किसी को उक्त फ्लैट पर आपत्ति हो तो संघ कार्यालय में 15 दिवस में प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करें, अन्यथा उक्त फ्लैट संख्या-5/144, केसरीचन्द चौधरी नगर, अजमेर रोड, जयपुर श्रीमती जसोदा देवी पत्नि श्री देवीसिंह के नाम हस्तांतरण कर दिया जावेगा।
(ज्योति गुप्ता) प्रबंध निदेशक

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति (फल एवं सब्जी) जयपुर
महात्मा ज्योतिबा फुले मुख्य मण्डी प्रांगण
ई-मेल kums.jaipurfv@rajasthan.gov.in
क्रमांक:- 2852 सार्वजनिक सूचना दि. 16.01.2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जयपुर के गौण मण्डी यार्ड जनता मार्केट में फर्म मैसर्स रामनारायण गजानन्द को आवंटित दुकान संख्या-12 के मालिक श्री कमल किशोर सैनी पुत्र स्व. श्री रामनारायण का दिनांक 24.11.202 को स्वर्गवास उपरान्त उनके वारिस श्रीमती कौशल्या पत्नी स्व. श्री कमल किशोर सैनी द्वारा आवंटित दुकान में वारिस के रूप में नाम जोड़ने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः स्व. श्री कमल किशोर सैनी पुत्र स्व. श्री रामनारायण मालिक मैसर्स रामनारायण गजानन्द आवंटित दुकान संख्या- 12 गौण मण्डी यार्ड जनता मार्केट के स्वर्गवास उपरान्त श्रीमती कौशल्या पत्नी स्व. श्री कमल किशोर सैनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर आवेदन कर्ता का नाम दुकान संख्या- 12 गौण मण्डी यार्ड जनता मार्केट एवं उससे सम्बन्धित रेकार्ड में मालिक के रूप में दर्ज करने पर किसी को कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय मे 7 दिवस में प्रस्तुत करे। अवधि समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।
सचिव
कृ.उ.म.स. (फ.से.) जयपुर

नाम परिवर्तन
मैं राजेन्द्र कुमार जाट अपनी पुत्री कृष्णा चौधरी के विद्यालय में मेरा नाम राजेश चौधरी है जो कि गलत है। जिसे बदलकर राजेन्द्र कुमार जाट पुत्र बंसी लाल किया जावें। निवासी नीमली की ढाणी तहसील दूदू जयपुर

I Ashish Tank and My wife Neelam Tank have change our son name Kandarp to kandarp Tank for all future purpose - 9928369918

I have Changed My Son Name from Kuldeep Singh Shekhawat S/o Gajendra Singh Shekhawat Mother Nama Pooja Kanwar to Kavyansh Singh Shekhawat (काव्यांश सिंह शेखावत) Date of Birth 16.01.2022 For All Purpose. Address: 97, Ashok Vihar Vister, Gokulpura, Jhotwara, Jaipur. Pincode 302012

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को (नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 421/2024
चूंकि श्री सुरेन्द्र कुमार सुराणा, वैभव कुमार सुराणा एवं श्रीमती त्रिशला रामपुरिया निवासी प्लॉट नं. 117, जन पथ, लालकोठी, जयपुर 302015 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत कम्प्यूकोम फाउण्डेशन कार्यालय पताः- एसपी-5, ईपीआईपी,